



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 4, 2019/अग्रहायण 13, 1941

No. 445]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2019/AGRAHAYANA 13, 1941

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 3 दिसम्बर, 2019

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक—स्वास्थ्य सेवाएँ) (संशोधन) विनियम, 2019

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/15/166/2019.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी और 42ई तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए(2)(क्यू), (आर) और (एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 में आगे संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—** (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएँ) (संशोधन) विनियम, 2019 कहलाएँगे।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 में,
 - विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (च) को हटाया जाएगा।
 - विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ट) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“ट. “नेटवर्क प्रदाता” से नकदीरहित सुविधा द्वारा बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए बीमाकर्ता द्वारा, टीपीए द्वारा अथवा संयुक्त रूप से बीमाकर्ता और टीपीए द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल अभिप्रेत है।”

ग. विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ड. "तृतीय पक्ष प्रशासक " (टीपीए) से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो प्राधिकरण के पास पंजीकृत है, और इन विनियमों के अंतर्गत उल्लिखित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए शुल्क अथवा किसी भी नाम से कहलाने वाले और स्वास्थ्य सेवा करार में उल्लिखित रूप में भुगतान के लिए किसी बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त है।”

घ. विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) में शब्द 'विदेश यात्रा' के लिए शब्द "यात्रा अथवा स्वास्थ्य अथवा चिकित्सा बीमा" प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

ङ. विनियम 3 के उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम निविष्ट किये जाएँगे, अर्थात् :-

“(4) पालिसीधारक बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष प्रशासकों (टीपीए) में से अपनी पसंद के एक तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) का चयन कर सकता है, जहाँ किसी विशिष्ट बीमा उत्पाद के लिए बीमाकर्ता द्वारा तृतीय पक्ष प्रशासकों (टीपीए) की सेवाएँ नियुक्त की गई हों।

(क) जहाँ उपर्युक्त टीपीए द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान उक्त टीपीए की सेवाएँ समाप्त की जाती हैं, वहाँ प्रत्येक बीमाकर्ता अपने द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष प्रशासकों (टीपीए) में से एक वैकल्पिक टीपीए का चयन करने के लिए पालिसीधारक को अनुमति देगा।

(ख) बीमाकर्ता उन तृतीय पक्ष प्रशासकों (टीपीए) के नाम स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराएगा, जिनमें से पालिसीधारक बिक्री केन्द्र पर अपनी पसंद के टीपीए का चयन कर सकता है। पालिसीधारक को अपनी पसंद के टीपीए में परिवर्तन करने की अनुमति केवल नवीकरण के समय ही दी जा सकती है।

बशर्ते कि पालिसीधारक के पास टीपीए की सेवाएँ छोड़ने की अपेक्षा करने और बीमाकर्ता से सीधे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार नहीं होगा।

परंतु यह भी शर्त होगी कि बीमाकर्ता के पास यह विशेषाधिकार होगा कि क्या किसी टीपीए को नियुक्त किया जाए या नहीं, अथवा टीपीए की सेवाएँ समाप्त की जाएँ, अथवा किसी विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के लिए टीपीए की सेवाओं की नियुक्ति न की जाए अथवा किसी विशिष्ट बीमा उत्पाद को सेवा देने के लिए टीपीए की सेवाएँ बंद की जाएँ।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि बीमाकर्ता के पास इन विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (8) के उपबंधों के अनुसार टीपीए को बदलने का विशेषाधिकार होगा।

(ग) जहाँ पालिसीधारक ने किसी भी टीपीए का चयन नहीं किया हो, वहाँ बीमाकर्ता अपनी पसंद के टीपीए को पालिसी की सर्विसिंग आबंटित कर सकता है।

(घ) जहाँ बीमाकर्ता केवल एक ही टीपीए की सेवाएँ नियुक्त करता है, वहाँ पालिसीधारक को कोई विकल्प देने की आवश्यकता नहीं है।

स्पष्टीकरण.--- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए टीपीए का चयन करने का पालिसीधारक का विकल्प उन तृतीय पक्ष प्रशासकों (टीपीए) तक सीमित है जिनके साथ किये गये सेवा स्तरीय करार बीमाकर्ता के पास विद्यमान हैं। स्वास्थ्य बीमा उत्पाद और पालिसीधारकों के भौगोलिक स्थान के आधार पर बीमाकर्ता उन तृतीय पक्ष प्रशासकों (टीपीए) की संख्या को भी सीमित कर सकता है जिनमें से पालिसीधारक अपनी पसंद के टीपीए का चयन कर सकता है। बीमाकर्ता नियुक्त तृतीय पक्ष प्रशासकों (टीपीए) की सूची स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराएगा, जिनमें से पालिसीधारक प्रस्ताव अथवा नवीकरण, जैसी स्थिति हो, के समय अपनी पसंद के टीपीए का चयन कर सकता है।

(5) प्राधिकरण प्रदत्त सेवाओं के संबंध में सभी बीमाकर्ताओं और तृतीय पक्ष प्रशासकों (टीपीए) द्वारा गुणात्मक और मात्रात्मक मानदंडों का प्रकटीकरण करने के लिए दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट कर सकता है।”

च. विनियम 5 के उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) प्राधिकरण से विधिमान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (क) और (ख) में उल्लिखित रूप में टीपीए का व्यवसाय प्रारंभ अथवा संचालित नहीं कर सकती और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान नहीं कर सकती।”

छ. विनियम 5 के उप-विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4) कोई भी बीमाकर्ता इन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (क) और (ख) में उल्लिखित रूप में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा संस्था को तब तक नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था के पास टीपीए के रूप में प्राधिकरण से प्राप्त विधिमान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र न हो।”

ज. विनियम 6 का शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“न्यूनतम पूँजी और निवल मालियत की अपेक्षाएँ”

झ. विनियम 6 के उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) टीपीए की निवल मालियत (नेट वर्थ) पंजीकरण की अवधि के दौरान किसी भी समय एक करोड़ रुपये से कम नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, “निवल मालियत” का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 में उसके लिए निर्धारित तथा समय-समय पर यथासंशोधित रूप में होगा।”

ञ. विनियम 7 के उप-विनियम (2) में शब्द ‘रुपये 20,000/- (केवल बीस हजार रुपये) और लागू सेवा कर’ के लिए, शब्द “रुपये 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) और लागू होनेवाले अन्य कर” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

ट. विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ज) के बाद, निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“(अक) आवेदक पर्याप्त प्रौद्योगिकीगत क्षमताओं, डेटा सुरक्षा और मानव संसाधनों के संबंध में तैयारी दर्शायेगा।

(अख) आवेदक के प्रवर्तक प्राधिकरण के संतोष के अनुरूप व्यावसायिक क्षमता तथा निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा की सामान्य प्रतिष्ठा से युक्त होंगे।”

ठ. विनियम 8 के उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम निविष्ट किये जाएँगे, अर्थात् :-

“(3) प्रत्येक प्रवर्तक निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करेगा।

क. आवेदन की तारीख तक तीन वर्षों से अन्यून अवधि के लिए अवश्य ऐसा व्यवसाय संचालित करता रहा हो जो बीमे से संबंधित न हो तथा ऐसी व्यावसायिक सेवाएँ देता रहा हो जो बीमे से संबंधित न हों;

ख. आवेदन की तारीख से तत्काल पूर्ववर्ती सभी तीन वित्तीय वर्षों के लिए सकारात्मक निवल मालियत (नेट वर्थ) रखता हो; तथा

ग. आवेदन की तारीख तक तत्काल पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में संबंधित पूँजी अंशदान से अन्यून निवल मालियत (नेट वर्थ) रखता हो;

(4) जहाँ आवेदक में एक अथवा उससे अधिक निवेशक हों, वहाँ आवेदक में प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर धारित करनेवाले किसी भी निवेशक को आवेदक के प्रवर्तक के रूप में माना जाएगा।

(5) उपर्युक्त विनियम 8 के उप-विनियम 4 में उल्लिखित प्रवर्तकों को छोड़कर अन्य भारतीय निवेशक एकसाथ मिलकर आवेदक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करेंगे।

(6) उक्त प्रवर्तक आवेदक में निवेश करने के लिए प्रस्तावित निधियों के लिए तीन वर्ष की अवरुद्धता अवधि (लाक-इन पीरियड) के लिए सहमत होंगे। तीन वर्ष की उक्त अवधि प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से गिनी जाएगी।”

ड. विनियम 9 के उप-विनियम (2) में, शब्द “रूपये 30,000/- (केवल तीस हजार रुपये) और लागू सेवा कर” के लिए शब्द “रूपये 2,00,000/- (केवल दो लाख रुपये) और लागू होनेवाले अन्य कर” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

ढ. विनियम 9 के उप-विनियम (3) में, शब्द “प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र” के बाद निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“जहाँ टीपीए निर्धारित रूप में बारह महीने के अंदर व्यवसाय के परिचालन प्रारंभ नहीं कर सका हो, वहाँ वह प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से बारह महीने की समाप्ति से पहले तीस दिन के अंदर आगे समय बढ़ाने के लिए इसके कारण प्रमाणित करते हुए लिखित में अपेक्षा करेगा। प्राधिकरण उक्त अनुरोध पर विचार करने के बाद व्यवसाय के परिचालन प्रारंभ करने के लिए टीपीए को छह महीने की अतिरिक्त अवधि प्रदान कर सकता है।

बशर्ते कि जहाँ टीपीए ने इस उप-विनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि के अंदर व्यवसाय के परिचालन प्रारंभ नहीं किये हों, वहाँ प्राधिकरण उक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करेगा तथा जनसाधारण की सूचना के लिए अपनी वेबसाइट में इसे प्रकाशित करेगा।”

ण. विनियम 10 के उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) आवेदक अथवा आवेदक का कोई भी प्रवर्तक जिसके विरुद्ध पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृति का आदेश पारित किया गया हो, ऐसी अस्वीकृति से एक वर्ष की अवधि के लिए टीपीए के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को नया आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा।”

त. विनियम 11 के उप-विनियम (3) के दूसरे परंतुक के बाद वाले पैरा में, शब्द “मुख्य कार्यकारी अधिकारी” से पहले, शब्द “परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि” निविष्ट किये जाएँगे।

थ. विनियम 15 के उप-विनियम (3) में, शब्द “रूपये 15,000/- (केवल पन्द्रह हजार रुपये) और लागू सेवा कर” के लिए शब्द “1,50,000/- रुपये (केवल एक लाख पचास हजार रुपये) और लागू होने वाले अन्य कर” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

द. विनियम 16 के उप-विनियम (1) के खंड (ट) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ट. टीपीए ने इन विनियमों के विनियम 6 के उपबंधों के अनुसार न्यूनतम पूँजी अथवा निवल मालियत (नेट वर्थ) की अपेक्षा को नहीं रखा है।”

ध. विनियम 16 के उप-विनियम (3) के खंड (घ) को हटाया जाएगा।

न. विनियम 16 के उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“(6) टीपीए जिसके विरुद्ध नवीकरण के प्रतिसंहरण अथवा निरसन अथवा अस्वीकरण का आदेश प्राधिकरण के द्वारा पारित किया गया हो, ऐसे प्रतिसंहरण अथवा निरसन अथवा अस्वीकरण की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए टीपीए के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को नया आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा।”

प. विनियम 19 के उप-विनियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(6) जहाँ टीपीए दावों के निपटान से संबंधित फाइलें, डेटा और अन्य संबंधित सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखते हैं, वहाँ इन्हें टीपीए द्वारा पुनः भौतिक रूप में अनुरक्षण को समाप्त किया गया है। टीपीए दावों के निपटान से संबंधित सभी फाइलें, डेटा और अन्य संबंधित सूचना संबंधित बीमाकर्ताओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल से प्रारंभ होनेवाली प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 90 दिन के अंदर प्रस्तुत करेंगे अथवा सौंपेंगे तथा बीमाकर्ता इन्हें प्राप्ति-सूचना के अधीन स्वीकार करेगा।”

फ. विनियम 20 का शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- **“स्वास्थ्य सेवा करार”**

ब. विनियम 20 के उप-विनियम (2) में शब्द 'पारिश्रमिक' के लिए शब्द “शुल्क” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

भ. विनियम 20 के उप-विनियम (5) के खंड (ग) में, शब्द 'पारिश्रमिक' के लिए शब्द “शुल्क” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

म. विनियम 20 के उप-विनियम (6) में, शब्द 'पारिश्रमिक' के लिए शब्द “शुल्क” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

य. विनियम 20 के उप-विनियम (9) के खंड (घ) में, शब्द 'आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 के विनियम 12 (ख)(i)' के लिए शब्द “भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के विनियम 33 के उप-विनियम (ख)” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

कक. विनियम 22 के उप-विनियम (1) में, शब्द 'विदेश यात्रा' के लिए शब्द “यात्रा अथवा स्वास्थ्य अथवा चिकित्सा बीमा” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

खख. विनियम 22 के उप-विनियम (2) में, शब्द 'विदेश यात्रा' के लिए शब्द “यात्रा अथवा स्वास्थ्य अथवा चिकित्सा बीमा” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

गग. इन विनियमों की अनुसूची-1 में :

i. खंड 10 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“10. विनियम 13(3) और (4): टीपीए कंपनी की शेयरधारिता के स्वरूप की स्थिति पर विवरणी।”

ii. खंड 17 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“17. विनियम 19(8): टीपीए द्वारा प्राप्त की गई आय अथवा शुल्क की अनुसूची।”

iii. खंड 19 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“19. विनियम 19 (10): दावा डेटा संबंधी फार्मेट।”

iv. खंड 20 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“20. विनियम 19(11): टीपीए कंपनी की निवल मालियत (नेट वर्थ) के विषय में वार्षिक प्रमाणपत्र।”

v. खंड 22 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“22. विनियम 20(4): सेवा स्तरीय करार के विवरण के लिए फार्म।”

vi. खंड 24 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“24. विनियम 22(4): आवधिक विवरणियाँ – गैर-बीमा स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित सूचना।”

vii. खंड 26 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“26. विनियम 22(4): भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई पालिसियों के लिए विदेशी अधिकार-क्षेत्रों में प्रदान की गई सेवाओं संबंधी सूचना के लिए फार्मेट।”

viii. खंड 27 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“27. विनियम 22(4): विदेशी बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई पालिसियों को प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सूचना संबंधी फार्मेट।”

घघ. इन विनियमों की अनुसूची-II में,

i. खंड 2 के उप-खंड (घ) के लिए, निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“घ. जिस बीमाकर्ता के साथ उसने करार किया है, उसकी जानकारी में संबंधित बीमाकर्ता के लिए संगत कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट अथवा असंगतियाँ अथवा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य लाएँगे।”

ii. खंड 2 के उप-खंड (प) में, शब्द 'पारिश्रमिक' के लिए, शब्द "शुल्क" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

iii. खंड (2) के उप-खंड (ब) के परंतुक में, शब्द 'विदेश यात्रा' हटाये जाएँगे।

iv. खंड (2) के उप-खंड (ज) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड निविष्ट किये जाएँगे, अर्थात् :-

“ट. एक बीमाकर्ता की सामूहिक बीमा पालिसियों से संबंधित सूचना अथवा डेटा की साझेदारी किसी अन्य बीमाकर्ता अथवा किसी इतर अन्य पक्षकार के साथ नहीं की जाएगी। जोखिम-अंकन के प्रयोजन के लिए, टीपीए संबंधित बीमाकर्ता और सामूहिक बीमा पालिसीधारक के सुस्पष्ट लिखित अनुमोदन के साथ, सूचना अथवा डेटा का साझा किसी अन्य बीमाकर्ता के साथ कर सकता है।”

“ठ. टीपीए पालिसीधारकों अथवा संभावित ग्राहकों से सीधे स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के व्यवसाय का अनुयाचन नहीं करेगा।”

डॉ. सुभाष सी. खुंटीआ, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा. /334/19]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

HYDERABAD, the 3rd December, 2019

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Third Party Administrators - Health Services) (Amendment) Regulations, 2019

F. No. IRDAI/Reg/15/166/2019.—In exercise of the powers conferred by section 114A(2)(q), (r) and (s) read with section 42D and 42E of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, to further amend the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Third Party Administrators - Health Services) Regulations, 2016, namely:-

1. **Short title and commencement** —(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Third Party Administrators - Health Services) (Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Third Party Administrators - Health Services) Regulations, 2016,

- a. Clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 2 shall be omitted.
- b. For clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 2, the following clause shall be substituted, namely: -
“k. “Network Provider” means hospital enlisted by an insurer, a TPA or jointly by an insurer and a TPA to provide medical services to an insured by a cashless facility.”
- c. For clause (m) of sub-regulation (1) of regulation 2, the following clause shall be substituted, namely: -
“m. “Third Party Administrator (TPA)” means a company registered with the Authority, and engaged by an insurer, for a fee or by whatever name called and as may be mentioned in the health services agreement, for providing health services as mentioned under these regulations.”
- d. In clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 3, for the words ‘foreign travel’, the words “travel or health or medical insurance” shall be substituted.
- e. After sub-regulation (3) of regulation 3, the following sub-regulations shall be inserted, namely: -

“(4) The policyholder can choose a TPA of their choice from amongst the TPAs engaged by the insurer, where services of TPAs are engaged by the insurer for a given insurance product.

- (a) Where the services of the TPA are terminated during the course of health services rendered by the said TPA, every insurer shall allow the policyholder to choose an alternate TPA from amongst the TPAs engaged by it.
- (b) The insurer shall explicitly provide the names of the TPAs amongst whom the policyholder may choose the TPA of their choice at the point of sale. The Policyholder may be allowed to change the TPA of their choice only at the point of renewal.

Provided that the policyholder shall have no right to seek dispensing the services of the TPA and request the insurer to undertake rendering the health service directly.

Provided further that the insurer shall have the prerogative of whether or not to engage any TPA or to terminate the services of the TPA or not to engage the services of the TPA for a particular health insurance product or discontinue the services of the TPA to service a particular health insurance product.

Provided further that the insurer shall have the prerogative of changing the TPA in accordance to the provisions of sub-regulation (8) of regulation 20 of these regulations.

- (c) Where the Policyholder did not choose any of the TPAs, the insurer may allot the policy servicing to a TPA of its choice.
- (d) Where the insurer engages the services of only one TPA, no option need be provided to the policyholder.

Explanation. —For the purposes of this sub-regulation, the choice of the policyholder to choose a TPA for rendering health services is limited to the TPAs with whom the insurer is having Service Level Agreements in place. Based on the health insurance product and geographical location of the policyholders, the insurer may also limit the number of TPAs amongst whom the policyholder may choose a TPA of their choice. The insurer explicitly shall provide the list of the TPAs engaged, from amongst whom the policyholder may choose a TPA of their choice, at the time of proposal or the renewal as the case may be.

(5) The Authority may specify guidelines for disclosure of qualitative and quantitative parameters by all insurers and TPAs with respect to the health services rendered.”

- f. For sub-regulation (1) of regulation 5, the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
“(1) No person or an entity can commence or carry out the business of TPA and render health services mentioned at clauses (a) and (b) of sub-regulation (1) of regulation 3 of these regulations without a valid certificate of registration from the Authority.”
- g. For sub-regulation (4) of regulation 5, the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
“(4) No insurer shall engage any person or entity to render health services mentioned at clauses (a) and (b) of sub-regulation (1) of regulation 3 of these regulations unless such person or entity is holding a valid certificate of registration from the Authority as TPA.”
- h. The heading of regulation 6 shall be substituted, namely: -

“Minimum Capital and Net Worth Requirements”

- i. For sub-regulation (3) of regulation 6, the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
 “(3) The net worth of a TPA shall at no time during the period of registration fall below rupees one crore.
 Explanation: For the purposes of these regulations, “net worth” shall have the meaning assigned to it in the Companies Act, 2013 and as amended from time to time.”
- j. In sub-regulation (2) of regulation 7, for the words ‘Rupees 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) and applicable service tax’, the words “Rupees 1,00,000/- (Rupees one lakh only) and other taxes as may be applicable” shall be substituted.
- k. After clause (j) of sub-regulation (2) of regulation 8, the following clause shall be inserted, namely: -
 “(ja) The applicant shall demonstrate the preparedness in respect of adequate technological capabilities, data security and human resources.
 (jb) The promoters of the applicant shall have professional competence and general reputation of fairness and integrity to the satisfaction of the Authority.”
- l. After sub-regulation (2) of regulation 8, the following sub-regulations shall be inserted, namely: -
 “(3) Each of the promoters shall satisfy the following criteria.
 a. Must be carrying on business not related to insurance or engaged in offering professional services not related to insurance for a period of not less than three years to the date of application;
 b. Have positive net worth in all the immediately preceding three financial years to the date of application; and
 c. Have net worth of not less than the respective capital contribution in the immediately preceding two financial years to the date of application;
- (4) Where there are one or more investors in an applicant, any investor holding the shares in the applicant exceeding ten percent of the paid up equity capital shall be considered as promoter of the applicant.
- (5) Indian investors, other than promoters referred at sub-regulation 4 of regulation 8 above, put together shall not hold more than twenty-five percent of paid up equity capital of the applicant.
- (6) The promoters shall agree to a lock-in period of three years for the funds proposed to be invested in the applicant. The lock-in period of three years shall reckon from the date of granting certificate of registration by the Authority.”
- m. In sub-regulation (2) of regulation 9, for the words “Rs. 30,000/- (Rupees Thirty Thousand only) and applicable service tax”, the words “Rs. 2,00,000/- (Rupees two lakh only) and other taxes as may be applicable” shall be substituted.
- n. In sub-regulation (3) of regulation 9, after the words “Certificate of Registration by the Authority.”, the following shall be inserted, namely: -
 “Where a TPA could not commence the business operations within twelve months as stipulated, it shall, within thirty days before the expiry of twelve months from the date of grant of certificate of registration by the Authority, seek in writing further extension of time substantiating the reasons thereof. The Authority on considering the request may grant a further period of six months to the TPA to commence the business operations.
Provided that where the TPA did not commence the business operations within the period stipulated under this sub-regulation, the Authority shall cancel the certificate of registration and publish the same in its website for information of general public.”
- o. For sub-regulation (3) of regulation 10, the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
 “(3) An applicant or any of the promoters of the applicant against whom an order of refusal for grant of certificate of registration has been passed by the Authority shall not, for a period of one year from such refusal, submit a fresh application to the Authority for grant of certificate of registration as a TPA.”
- p. In the para after the second proviso of sub-regulation (3) of regulation 11, before the words “The Chief Executive Officer”, the words “Provided further that” shall be inserted.

- q. In sub-regulation (3) of regulation 15, for the words “Rs.15,000/- (Rupees Fifteen Thousand only) and applicable service tax’, the words “ Rs. 1,50,000/- (Rupees one lakh fifty thousand only) and other taxes as may be applicable” shall be substituted.
- r. For clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 16, the following clause shall be substituted, namely: -
 “k. The TPA failed to maintain the minimum capital or net worth requirement in accordance with the provisions of regulation 6 of these regulations.”
- s. Clause (d) of sub-regulation (3) of regulation 16, shall be omitted.
- t. After sub-regulation (5) of regulation 16, the following sub-regulation shall be inserted, namely: -
 “(6) A TPA against whom an order of revocation or cancellation or denial of the renewal has been passed by the Authority shall not, for a period of two year from the date of such revocation or cancellation or denial, submit a fresh application to the Authority for grant of certificate of registration as a TPA.”
- u. For sub-regulation (6) of regulation 19, the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
 “(6) Where TPAs maintain files, data and other related information pertaining to the settlement of claims in electronic form, maintenance of the same by the TPAs again in physical form is dispensed with. TPAs shall submit or handover all the files, data and other related information pertaining to the settlement of claims to the respective insurers within 90 days after close of every quarter commencing from April of every financial year and the insurer shall accept the same under acknowledgement.”
- v. Heading of regulation 20 shall be substituted, namely: - **“Health Service Agreements”**
- w. In sub-regulation (2) of regulation 20, for the word ‘remuneration’, the word “fees” shall be substituted.
- x. In clause (c) of sub-regulation (5) of regulation 20, for the word ‘remuneration’, the word “fees” shall be substituted.
- y. In sub-regulation (6) of regulation 20, for the word ‘remuneration’, the word “fees” shall be substituted.
- z. In clause (d) of sub-regulation (9) of regulation 20, for the words ‘Reg. 12 (b) (i) of IRDA (Health Insurance) Regulations, 2013’, the words “sub-regulation (b) of regulation 33 of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Health Insurance) Regulations, 2016’ shall be substituted.
- aa. In sub-regulation (1) of regulation 22, for the words ‘foreign travel’, the words “travel or health or medical insurance” shall be substituted.
- bb. In sub-regulation (2) of regulation 22, for the words ‘foreign travel’, the words “travel or health or medical insurance” shall be substituted.
- cc. In Schedule - I of these regulations;
- i. For clause 10, the following clause shall be substituted, namely:-
 “10. Regulation 13 (3) and (4): Return on Status of Shareholding Pattern of a TPA Company.”
- ii. For clause 17, the following clause shall be substituted, namely:-
 “17. Regulation 19 (8): Schedule of Income or fee received by TPA.”
- iii. For clause 19, the following clause shall be substituted, namely:-
 “19. Regulation 19 (10): Format on Claims data.”
- iv. For clause 20, the following clause shall be substituted, namely:-
 “20. Regulation 19 (11): Annual certificate in the matter of Net Worth of a TPA Company.”
- v. For clause 22, the following clause shall be substituted, namely:-
 “22. Regulation 20 (4): Form for Service Level Agreement Details.”
- vi. For clause 24, the following clause shall be substituted, namely:-
 “24. Regulation 22 (4): Periodical Returns – Information on non-insurance health schemes.”
- vii. For clause 26, the following clause shall be substituted, namely:-
 “26. Regulation 22 (4): Format of information on services rendered in foreign jurisdictions for policies issued by Indian insurers.”

viii. For clause 27, the following clause shall be substituted, namely:-

“27. Regulation 22(4): Format on information on health services rendered to policies issued by foreign insurers.”

dd. In Schedule - II of these regulations;

i. For sub-clause (d) of clause 2, the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“d. Bring to the notice of the insurer with whom it has an agreement any adverse report or inconsistencies or any material fact that is relevant for the insurer concerned.”

ii. In sub-clause (u) of clause 2, for the word ‘remuneration’, the word “fees” shall be substituted.

iii. In proviso to sub-clause (w) of clause (2), for the words ‘foreign travel’ shall be omitted.

iv. After sub-clause (jj) of clause (2), the following sub-clauses shall be inserted, namely:-

“kk. Any information or data relating to the group insurance policies of one insurer shall not be shared with any other insurer or any other third party. For the purpose of underwriting, a TPA, with the explicit written approval of the concerned insurer and the Group Insurance Policyholder, may share information or data to any other insurer.”

“ll. A TPA shall not canvass business of rendering health services directly from policyholders or prospects.”

Dr. SUBHASH C. KHUNTIAM, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty/334/19]